न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 56 / 2023 (उदयपुर डिक्री)

श्रीमती सोसरबाई पत्नी स्वर्गीय धनराज प्रजापत, निवासी मेनार समिति, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती तुलसी मेनारिया पत्नी किशन मेनारिया, ब्राहमण, निवासी मेनार, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
3. नाना पिता डालू भील, निवासी मेनार, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
4. श्रीमती नर्बदा बाई पत्नी हिम्मतलाल ब्राहमण, निवासी मेनार, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा– 223 राजस्थान
काश्त॰ अधि॰– 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी, वल्लभनगर
दिनांक 20.07.2022 प्र. सं. 52 / 2021

———/———

उपस्थित :– 1– श्री ललित जैन अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री भगवानलाल मेनारिया अभिभाषक रेस्पो.सं. 1

———::———

निर्णय **दिनांक 05–11–2024**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मेनार, तहसील वल्लभनगर में साबिक आराजी नंबर 4916 / 1 मीन रकबा 11 बीघा 12 बिस्वा बिलानाम भूमि अंकित है, जिसमें से 5 बीघा भूमि चुन्नीलाल पिता भेरा दर्जी को मिसल संख्या 317 सन् 67 दिनांक 22–05–1968 को आवंटित हुई। आवंटन पश्चात् आवंटी को कब्जा सिपुर्द किया गया तथा भूमि का नंबर 4916 / 1 छ रकबा 5 बीघा आवंटी के नाम गैर खातेदारी हक से अंकित किया गया तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 16:03:37 IST
Reason: SelfAttested

आवंटन शर्तो की पालना पूर्ण किये जाने के कारण खातेदारी अधिकार भी प्राप्त हो गये। खातेदार चुन्नीलाल का निधन हो जाने से विरासत से नामान्तरकरण संख्या 4221 दिनांक 17–01–2007 को कन्हैयालाल पिता चुन्नीलाल दर्जी के नाम खातेदारी हक से अंकित हुई तथा कन्हैयालाल द्वारा उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 2 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विक्रय कर दिये जाने से नामान्तरकरण संख्या 4804 दिनांक 27–06–2011 से प्रतिवादी संख्या 2 के नाम खसरा नंबर 4916/12 कायम होकर खातेदारी हक से अंकित हुआ। प्रतिवादी संख्या 2 ने उक्त भूमि वादिया को दिनांक 30–12–2020 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विक्रय कर कब्जा सिपुर्द कर दिया तब से वादिया इस भूमि पर काबिज होकर उपयोग–उपभोग करती चली आ रही है। विक्रय के समय सेटलमेन्ट चल रहा था, इस कारण उक्त भूमि का नामान्तरकरण वादिया के नाम नहीं हो सका। अतः वादिया को आराजी नंबर 4916/12 रकबा 5 बीघा के नवीन सेटलमेन्ट में मौके की स्थिति अनुसार बने आराजी नंबर 7490 रकबा 0.2800 हैक्टर सम्पूर्ण, आराजी नंबर 7605 रकबा 0.0600 हैक्टर सम्पूर्ण, आराजी नंबर 7606 रकबा 0.1000 हैक्टर सम्पूर्ण, आराजी नंबर 7607 रकबा 0.4900 हैक्टर सम्पूर्ण एवं आराजी नंबर 7490दके पूर्वी दिशा से लगे हुए भाग खसरा नंबर 7489 रकबा 0.6200 हैक्टर में से 0.1500 हैक्टर कुल किता 5 रकबा 1.0800 हैक्टर का खातेदार घोषित किया जाकर तद्नुसार राजस्व रेकार्ड में अंकित किया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय ने अधिवक्ता वादिया एवं राजकीय पैरोकार की बहस सुनकर निर्णय दिनांक 20–07–2022 से वादिया का वाद स्वीकार कर डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 12–07–2023 को प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री भगवानलाल मेनारिया उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए, जबकि अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री ललित जैन उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 16:03:37 IST
Reason: SelfAttested

अपीलान्ट ने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी पूर्व में नहीं थी। अभी 15–20 दिन पूर्व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 मौके पर आये तथा अपीलान्ट को बेदखल करने की कोशिश की, तब अपीलान्ट द्वारा अधिकक्ता से सम्पर्क कदने पर उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। जानकारी दिनांक से अपील समयावधि में प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः देरी को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मयाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

उक्त बहस का खण्डन करते हुए रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि अपीलान्ट को उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी पूर्व में थी, क्योंकि माननीय न्यायालय के आदेश से दिनांक 02–02–2021 एवं इसके बाद दिनांक 01–07–2022 को पटवारी हल्का द्वारा मौके की रिपोर्ट मौके पर उपस्थित रहकर बनायी गयी। यदि अपीलान्ट का मौके पर कोई आधिपत्य होता उन्हें रेस्पोन्डेन्ट द्वारा प्रस्तुत वाद की जानकारी हो जाती एवं वह अधीनस्थ न्यायालय में तुरन्त उपस्थित होती। जब मौके पर अपीलान्ट का कोई कब्जा ही नहीं है तो उसे 15–20 दिन पूर्व जानकारी होने का कथन मनगढ़न्त है। अतः अपील बेरून मयाद होने से खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। हालांकि अपील प्रस्तुत करने में करीब 10 माह का विलम्ब हुआ है, किन्तु चूंकि अपीलान्ट अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थी। अतः प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगण न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा धारा 96 जा.दी. के प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में निवेदन किया कि आराजी नंबर 7605 जिसके संबंध में रेस्पोन्डेन्ट/वादिया द्वारा घोषणा चाही गयी है, उस पर अपीलान्ट का कब्जा 40 वर्षो से भी अधिक समय से चला आ रहा है तथा उस पर अपीलान्ट का बाडा बना होकर चारों तरफ तारबन्दी कर रखी है, किन्तु वादिया ने अपीलान्ट को बिना पक्षकार बनाये एकतरफा डिक्री प्राप्त कर ली, जिससे अपीलान्ट के हित प्रभावित हो रहे हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जा

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 16:03:37 IST
Reason: SelfAttested

उक्त बहस का खण्डन करते हुए अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि आराजी नंबर 7605 से अपीलान्ट का कोई लेना देना नहीं है। उक्त आराजी पर अपीलान्ट का कभी कब्जा नहीं रहा है तथा अपीलान्ट हितबद्ध पक्षकार नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर अपील मात्र इसी आधार पर खारिज की जावे।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन कर बहस पर मनन किया। अपीलान्ट ने मात्र आराजी नंबर 7605 पर अपना कब्जा होने का कथन किया है, जबकि कब्जे बाबत् कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये हैं, मात्र फोटोग्राफ पेश किये हैं, उससे भी अपीलान्ट का कब्जा साबित नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय ने कब्जे की जांच कर प्रस्तुत सभी साक्ष्यों के आधार पर निर्णय पारित किया है, जिससे हम अपीलान्ट को किसी प्रकार से हितबद्ध एवं प्रभावित पक्षकार नहीं पाते हैं। अतः अपील मात्र इसी आधार पर खारिज योग्य है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है, विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में भी मात्र कब्जे का आधार लिया है, जिसके संबंध में हम उक्त धारा 96 जा.दी. के प्रार्थना पत्र में विवेचन कर चुके हैं तथा अपीलान्ट को हितबद्ध एवं प्रभावित पक्षकार नहीं पाते हैं। तद्नुसार अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः अपीलान्ट हितबद्ध पक्षकार नहीं होने एवं अपील सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 20–07–2022 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 05–11–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 16:03:37 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**कीर्ति राठौड़, आर॰ए॰एस॰** .....

श्रीमती सोसरबाई पत्नी स्व. धनराज प्रजापत, निवासी मेनार समिति, तह0 वल्लभनगर, जिला उदयपुर	बनाम	**श्रीमती तुलसी पत्नी किशन मेनारिया ब्राहमण, निवासी मेनार, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर व अन्य**

अपील नं॰....**56 / 2023**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....वल्लभनगर..... मुकाम.....मुवर्खे.....**.....20**.....माह.....**07**.....**.....2022**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**05**.....माह.....**11**.....सन् **2024** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी....**श्री ललित जैन**.....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री भगवानलाल मेनारिया**.....

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.... **अपीलान्ट हितबद्ध पक्षकार नहीं होने एवं अपील सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 20–07–2022 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**05**.....माह.....**..11**.....**2024** को जारी किया गया।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 16:03:37 IST
Reason: SelfAttested